



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265268  
CG-DL-E-08082025-265268

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3513]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3513]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3599(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3, 4, 15क और 15ख के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के नियम 5 और 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय अनिवार्य रूप से केमइंडिया वेब पोर्टल (<https://chemindia.chemicals.gov.in/>) ("पोर्टल") पर रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों से विभिन्न पहलुओं पर रासायनिक विशेषताओं तक सीमित न रहते हुए, उत्पादन, स्थापित क्षमता, खरीद, बिक्री और अन्य संबंधित आंकड़ों सहित रसायनों और पेट्रोरसायनों पर सांख्यिकी एकत्र करने का निर्देश देता है। भारत की एक व्यापक और प्रामाणिक रसायन सूची बनाने के लिए देश में रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों/ इकाइयों से वार्षिक और मासिक आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सांख्यिकी एकत्र किए जाएंगे। यह "केमइंडिया वेबपोर्टल" पंजीकृत रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों/ इकाइयों से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त डेटा के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेगा। ये सांख्यिकी उद्योग अनुकूल नीतियां तैयार करने के लिए प्रासंगिक होंगे। इसके बाद रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध सांख्यिकी वार्षिक प्रकाशन "रसायन और पेट्रोरसायन सांख्यिकी एक नज़र में" की तैयारी के लिए भी उपयोग किए जाएंगे और विश्लेषण और निगरानी के उद्देश्य से ये प्रकाशन सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होंगे। यह सूचना विभिन्न संसदीय कार्य समितियों और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की वार्षिक रिपोर्टों के लिए उपयोगी

होगी और नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इष्टतम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में सहायता करेगी।

2. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, उपरोक्त निर्देश के संबंध में नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित व्यक्ति तथा उसके समनुदेशिनी को सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:

सांख्यिकी अधिकारी	पता (ई-मेल सहित)
सहायक निदेशक (सांख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग) वर्तमान में श्री सत्यपाल	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कमरा संख्या 308, 'बी' विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली - 110001 फ़ोन: 011-23310681 (कार्यालय), ई-मेल आईडी: satyapal.66@gov.in
न्याय निर्णायक अधिकारी	पता (ई-मेल सहित)
निदेशक (सांख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग) वर्तमान में श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कमरा संख्या 513-सी, 'एफ'-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110001 फ़ोन नंबर: 011-23063306 (कार्यालय), ई-मेल आईडी: singh.gp@gov.in
अपीलीय प्राधिकारी	पता (ई-मेल सहित)
उप महानिदेशक (सांख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग) वर्तमान में श्री गंगा कुमार	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कमरा संख्या 419, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 फ़ोन: 011-23387761 (कार्यालय), ई-मेल आईडी: Kumar.ganga@nic.in

3. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगा। प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति अपने साथ सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र या प्राधिकार पत्र रखेगा।

4. उपर्युक्त निर्देश के संदर्भ में एकत्रित सांख्यिकी का सत्यापन और जाँच सांख्यिकी एवं निगरानी (एस एंड एम) प्रभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि ये सांख्यिकी उद्योग-अनुकूल नीतियाँ तैयार करने के लिए प्रासंगिक होंगे। इसके बाद, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तैयार किया जा सके। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग वार्षिक प्रकाशन " रसायन एवं पेट्रोरसायन सांख्यिकी एक नज़र में " तैयार करने और विश्लेषण एवं निगरानी के उद्देश्य से भी किया जाएगा।

5. उपर्युक्त निर्देशों के संबंध में किसी भी गतिविधि में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

### अनुसूची

#### सांख्यिकी संग्रहण का विषय और उद्देश्य:

1. रसायन क्षेत्र के उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री, खरीद और अन्य संबंधित सांख्यिकी को हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में नीति और पर्यवेक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के नियमित सांख्यिकीय प्रकाशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

**सांख्यिकी संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र :**

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में सांख्यिकी एकत्र किये जायेंगे।

**डेटा संग्रहण की विधि :**

3. सूचनादाताओं को सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को जारी किए गए नोटिस के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक डेटा ऑनलाइन माध्यम से भेजना होगा। सांख्यिकी अधिकारी, सूचनादाता को नोटिस में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन निर्धारित सूचना अन्य प्रारूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।

**डेटा संग्रहित किए जाने वाले सूचनादाताओं की प्रकृति :**

4. पंजीकृत इकाई का मालिक या प्रबंधक या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, अपने प्रतिष्ठान के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदान करेगा।

**आंकड़ों का संग्रहण पूरा करने की अवधि :**

5. मासिक सूचना अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करनी होगी, और इसी प्रकार वार्षिक सूचना अगले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत करनी होगी।

**संदर्भ अवधि :**

6. वार्षिक सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और इसी प्रकार मासिक सूचना प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

**संग्रहित की जाने वाली सूचना की प्रकृति :**

7. उत्पादन से संबंधित मासिक डेटा और स्थापित क्षमता, बिक्री और खरीद से संबंधित वार्षिक डेटा उद्योगों/इकाइयों से संग्रहित किया जाएगा।

**सूचनादाता द्वारा दी जाने वाली सूचना की भाषा :**

8. प्रत्येक सूचनादाता निर्धारित प्रारूप में अंग्रेजी में सूचना देगा।

**सूचनादाता का दायित्व :**

9. किसी इकाई का मालिक या प्रबंधक सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित निर्धारित तरीके से और हर महीने नियत तारीख तक सूचना प्रस्तुत करेगा। उसे निरीक्षण के लिए प्रासंगिक अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे और सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मांगी गई सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे।

**निरीक्षण किए जाने वाले कारोबार अभिलेखों और अन्य अभिलेखों की प्रकृति :**

10. इकाई के कारोबार अभिलेख, इकाई द्वारा दी गई सूचना के समर्थन में कोई अन्य कानूनी दस्तावेजों का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

**निरीक्षण का तरीका :**

11. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इकाई के कारोबार अभिलेखों के आधार पर इकाई द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन कर सकता है तथा संबंधित मालिक या प्रबंधक या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS****(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2025

**S.O. 3599(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3 , 4, 15A, and 15B of the Collection of Statistics Act, 2008 and read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers hereby directs collection of statistics on chemicals and petrochemicals on various facets including but not limited to chemical characteristics, production, installed capacity, purchase, sales and other related data from chemical and petrochemical industries mandatorily on ChemIndia Web portal (<https://chemindia.chemicals.gov.in/>)(“Portal”). The statistics shall be collected through on-line portal from the chemical and petrochemical industries/ units in the country on annual as well as on monthly basis in order to create a comprehensive and authentic chemicals inventory of India. This “ChemIndia Webportal” shall facilitate collection, compilation and analysis of online data, received from the registered Chemicals and Petrochemicals Industries/units. The statistics shall be relevant for preparing industry-conducive policies, compilation of monthly Index of Industrial Production (IIP) would then be made available by the Department of Chemicals and Petrochemicals to the Office of the Economic Statistics Division, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation for generation of monthly Index of Industrial Production (IIP). The statistics available with the Department of Chemicals and Petrochemicals will also be used for the preparation of the annual publication “Chemical and Petrochemical Statistics at a Glance” and for analysis and monitoring purpose, these publications shall be available in the public domain. This information shall serve various parliamentary affairs committees, and annual reports of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, and supports policymakers and researchers in formulating policies to encourage best practices and foster optimal industrial development. The submission of data shall be as per the details mentioned in the Schedule.

2. The Department of Chemicals and Petrochemicals further appoints the person as also its assignee in office, mentioned in the table below, as a Statistics Officer, Adjudicating Officer, and Appellate Authority regarding the aforesaid direction:

<b>Statistics Officer</b>	<b>Address (with e-mail)</b>
Assistant Director (Statistics and Monitoring Division)  Presently Shri Satyapal	Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Room No. 308, ‘B’–Wing, Janpath Bhawan, New Delhi - 110001 Tel: 011-23310681 (O), E-mail ID: satyapal.66@gov.in
<b>Adjudicating Officer</b>	<b>Address (with e-mail)</b>
Director (Statistics and Monitoring Division)  Presently Shri Gyanendra Pratap Singh	Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Room No.513-C, ‘F’–Wing, Udyog Bhawan, New Delhi 110001 Tel: 011-23063306 (O), E-mail ID: singh.gp@gov.in
<b>Appellate Authority</b>	<b>Address (with e-mail)</b>
Deputy Director General (Statistics and Monitoring Division)  Presently Shri Ganga Kumar	Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Room No.419, ‘C’–Wing , Shastri Bhawan , New Delhi 110001 Tel: 011-23387761 (O), E-mail ID: kumar.ganga@nic.in

3. The persons authorised by the Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking

clarifications, as may be necessary. Each authorized person would carry a photo identity card or letter of authorisation issued by the Statistics Officer.

4. The statistics collected with reference to the aforesaid direction will be verified and scrutinized in Statistics and Monitoring (S&M) Division, Department of Chemicals and Petrochemicals. It is reiterated that the statistics shall be relevant for preparing industry-conducive policies, compilation of monthly Index of Industrial Production (IIP) would then be made available by the Department of Chemicals and Petrochemicals to the Office of the Economic Statistics Division, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation for generation of monthly Index of Industrial Production (IIP). The statistics available with Department of Chemicals and Petrochemicals will also be used for preparation of annual publication "Chemical and Petrochemical Statistics at a Glance" and for analysis and monitoring purpose.

5. All persons engaged in any activity in respect of the aforesaid directions are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2024.

## SCHEDULE

### Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to production, installed capacity, sales, purchases and other related data of chemical sector would be collected through on-line for generation of Index of Industrial Production every month, use for policy and supervision purposes in Department of Chemicals and Petrochemicals, and for the regular statistical publication of Department of Chemicals and Petrochemicals.

### Geographical area for collection of statistics:

2. The statistics would be collected in the whole of India under the Collection of Statistics Act, 2008.

### Method of data collection:

3. Informants would be required to send the required data in the prescribed format through online as per the notice issued by the Statistics Officer to informants under his jurisdiction. Statistics Officer may permit informant to furnish the prescribed information in other form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

### Nature of informants from whom data may be collected:

4. The owner or manager or any authorised person of a registered unit who would be issued notice by the Statistics Officer, shall furnish the required information about his establishment.

### Period during which collection of statistics may be completed:

5. The monthly information would be required to be submitted on or before the 15th of the following month, and the yearly information by 31st May of the succeeding financial year.

### Reference period:

6. The yearly Information shall be mandatorily furnished for each Financial Year, and likewise, the Monthly Information shall be furnished for each calendar month, without fail.

### Nature of information to be collected:

7. The Monthly data pertaining to production and yearly data relating to installed capacity, sales, and purchases shall be collected from the industries/ units.

### Language in which information is to be furnished by informant:

8. Every informant shall furnish information in the prescribed format in English.

### Obligation of informant:

9. An owner or manager of a unit shall furnish information in the prescribed manner and by stipulated date every month as mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**Nature of business records and other records which may be inspected:**

10. Business records of a unit, any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**The manner of inspection:**

11. The Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished by the units on the basis of business records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or manager or a person authorised by the management of unit.

[F. No. 25019/11/2025-S & M DIVISION-CPC]

GANGA KUMAR, Dy. Director General